मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2000 (फाल्गुन 17, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

उप चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे :-

(1) श्री अमितेश शुक्ल; तथा
(2) श्री नरेश सराफ.

2. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री ठाकुर दास यादव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(2) श्री बापूलाल मालवीय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हिम्मत कोठारी, श्रीमती सुधा जैन, श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, रतलाम जिले के शासकीय चिकित्सालयों में आवश्यक दवाईयों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री धूल सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जहरीली गैस छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 138-बसना के सदस्य, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह को फरवरी-मार्च, 2000 सत्र में दिनांक 17 फरवरी से 10 मार्च, 2000 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 1999-2000 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 76, 79, 80, 81, 82, 84 तथा 88 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस सौ बयालीस करोड़, पचपन लाख, उनसठ हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

1 घन्टा

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 (क्रमांक 7 सन् 2000) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात.

निर्धारित समय		10. वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या-15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-37	पर्यटन
		मांग संख्या-59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या-80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
30 मि.	(2)	मांग संख्या-14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-16	मछली पालन
		मांग संख्या-51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या-71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या-05	जेल
		मांग संख्या-49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या-25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या-47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग
		मांग संख्या-70	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
30 मि.	(5)	मांग संख्या-20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
2 घन्टे 30 मि.	(6)	मांग संख्या-03	पुलिस
		मांग संख्या-04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या-65	विमानन.
1 घन्टा 30 मि.	(7)	मांग संख्या-22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग— नगरीय निकाय
		मांग संख्या-53	अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण
		मांग संख्या-81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
1 घन्टा	(8)	मांग संख्या-12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(9)	मांग संख्या-39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-72	गैस दुर्घटना राहत कार्यो से संबंधित व्यय.
30 मि.	(10)	मांग संख्या-18	श्रम
		मांग संख्या-34	समाज कल्याण
		मांग संख्या-66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
1 घन्टा	(11)	मांग संख्या-36	परिवहन.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 मार्च, 2000